

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी—दिव्यराज सिंह चुण्डावत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या
121/2025

दायर दिनांक
08.04.2025

निर्णय दिनांक
09.05.2025

1. श्री प्रेम पुत्री नन्दलाल खारोल, निवासी भोली तहसील व जिला भीलवाड़ा।
2. लक्ष्मण पुत्र नन्दलाल खारोल, निवासी भोली तहसील व जिला भीलवाड़ा।
3. लाडूदेवी पत्नी नन्दलाल खारोल, निवासी भोली तहसील व जिला भीलवाड़ा।
4. सूरज पुत्र नन्दलाल खारोल, निवासी भोली तहसील व जिला भीलवाड़ा।
5. सायर पुत्री नन्दलाल खारोल, निवासी भोली तहसील व जिला भीलवाड़ा।
6. सोहनी पुत्री नन्दलाल खारोल, निवासी भोली तहसील व जिला भीलवाड़ा।

बनाम

— प्रार्थीगण

1. दुर्गा पत्नी प्रकाश वैष्णव, निवासी भोली तहसील व जिला भीलवाड़ा।
2. सायर पत्नी रामा गाडरी, निवासी भोली तहसील व जिला भीलवाड़ा।
3. रतन गाडरी पुत्र नन्दलाल गाडरी, निवासी भोली तहसील व जिला भीलवाड़ा।
4. गुलाब देवी पत्नी भैरूलाल गाडरी, निवासी भोली तहसील व जिला भीलवाड़ा।
5. हीरालाल पुत्र नन्दा गाडरी, निवासी भोली तहसील व जिला भीलवाड़ा।
6. भगवान पुत्र नन्दा गाडरी, निवासी भोली तहसील व जिला भीलवाड़ा।
7. शंकर पुत्र हीरा गाडरी, निवासी भोली तहसील व जिला भीलवाड़ा।
8. भवंर पुत्र छोगा गाडरी, निवासी भोली तहसील व जिला भीलवाड़ा।
9. भैरु पुत्र लक्ष्मण गाडरी, निवासी भोली तहसील व जिला भीलवाड़ा।
10. भगवान पुत्र लक्ष्मण गाडरी, निवासी भोली तहसील व जिला भीलवाड़ा।
11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा (राज)।

— विपक्षीगण

उपस्थित:—अधिवक्ता प्रार्थीगण श्री पृथ्वीराज चौधरी उपस्थित।

अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 10 उपस्थित नहीं

—: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 आर0एल0आर एक्ट :-

—: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने विपक्षीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम भोली पटवार हल्का भोली, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आटुण तहसील व जिला भीलवाड़ा की सरहद में प्रार्थीगण की आराजी संख्या 1316 रकबा 0.1012 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 1317 रकबा 0.1391 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 1319 रकबा 0.3920 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 1320 रकबा 0.5690 हैक्टेयर कुल कित्ता 04 कुल रकबा 1.2013 हैक्टेयर कृषि भूमि स्थित है।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और विपक्षीगण के पडौसी खातेदारान विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीगण अपनी खातेदारी आराजी की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थीगण उक्त वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 10 उपस्थित नहीं। प्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईशतदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थीगण अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है। मेंनें प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश हेतु नियत किया गया।

मेंने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण उक्त आराजियात के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे अपनी आराजियात की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

अतः तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन (पत्थरगढी) करने का आदेश दिया जाता है कि ग्राम भोली पटवार हल्का भोली, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आटुण तहसील व जिला भीलवाडा की सरहद में प्रार्थीगण की आराजी संख्या 1316 रकबा 0.1012 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 1317 रकबा 0.1391 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 1319 रकबा 0.3920 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 1320 रकबा 0.5690 हैक्टेयर कुल किता 04 कुल रकबा 1.2013 हैक्टेयर भूमि स्थित है। उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढी कार्य संपादन से पूर्व फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में निशानात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000-00 अक्षरे एक हजार रुपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 09.05.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिव्यराज सिंह चण्डावत)
तहसीलदार अधिकारी
भीलवाडा